... पत्रावली
दिनांक 9.2.2024 को पेश हो।

9.2.24 वकील उभयपक्ष उप.। प्रति. न. 3, 4, 5 द्वाय प्रा.प. पत्र पेश जिस पर अधि. वादी ने NO OBJECTION किया कि सहवन से उक्त प्रतिवादीगण द्वारा इकरयोग के कथन हो गये हैं जबकि त्रुटिवश वकील की भूल के कारण उक्त कथन अंकित हो गये। प्रा.पत्र स्वीकार कर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वाद पत्र डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। शु.कि. हो। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.06 17:01:12 IST
Reason: SelfAttested